(2007) 5 एस.सी.आर. 521

भारत का संघ

बनाम

एस.पी.एस. राजकुमार एवं अन्य

निर्णय तिथिः- 24 अप्रेल, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पंता, जे. जे.)

सेवा कानूनः

वायु सेना अधिनियम, 1950 एस 161 (2)/ वायु सेना नियम, 1969 नियम 40 और 46:

उपरोक्त अपीलकर्ता एस.पी.एस. राजकुमार द्वारा दायर रिट याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश से सम्बंधित अन्य सिवील अपील भारत संघ द्वारा अपील के निर्णय एवं संशोधन आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

सेवा से बर्खास्तगी - ग्रुप कैप्टन - वित्तीय अनियमितता का आरोप- जनरल कोर्ट मार्शल- सेवा से बखास्तगी - निष्कर्ष एवं सजा को वायुसेना प्रमुख द्वारा पुष्टि की गई- प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय में धारा 16 (2) वायु सेना अधिनियम के अन्तर्गत रिट प्रस्तुत की गई- केन्द्रीय सरकार द्वारा याचिका खारिज की गई- उच्च न्यायालय द्वारा वायुसेना प्रमुख का निर्णय अपास्त करते हुए निष्कर्ष दिया कि न्यायाधीश अधिवक्ता पद में कनिष्ठ थे। जनरल कोर्ट मार्शल की

कार्यवाही दुषित हो गई- अपील में, निष्कर्ष- भारत संघ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में यह तर्क नहीं लिया कि जी.सी.एम. (संक्षेप में जनरल कोर्ट मार्शल) का वैध रूप से गठन नहीं किया गया था- उच्च न्यायालय निष्कर्ष कि जी.सी.एम. वैध रूप से गठित नहीं था यह हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं था- क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष सजा की उपयुक्तता पर सवाल उठाया गया था, किन्तु उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि जी.सी.एम. की संरचना अवैध थी, जबकि सजा के बिन्दु पर जांच नहीं की इस कारण उच्च न्यायालय को सजा के बिन्दु पर रिट-याचिका पर पुनः विचार करने का निर्देश दिया गया अन्य किसी मुद्दे पर नहीं।

अपीलार्थीः- भारत संघ ने आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी द्वारा भारतीय वायु सेना में समूह कप्तान के रूप में कार्य करते हुए बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता रसद क्रय के मामलें में की गई। इस सम्बंध में प्रत्यर्थी द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता के सम्बंध में 09 आरोपों को सूचीबद्ध करते हुए एक आरोप-पत्र जारी किया गया था। जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही इस निष्कर्ष के साथ समाप्त हुई कि प्रतिवादी चार आरोपों का दोषी था। तदनुसार, उन्हें दो साल की वरिष्ठता को ज़ब्त करने एवं कड़ी फटकार लगाने की सजा सुनाई गई।

जी.सी.एम. के संयोजक प्राधिकारी (ए.ओ.सी. इन्चार्ज) रखरखाव कमाण्ड, मुख्यालय नागपुर ने आदेश दिनांक 13.04.2000 की समीक्षा कर सजा के संशोधन के लिए जी.सी.एम. को पुनः बैठक आयेजित कर सजा पर आदेश दिया। जिस पर जी.सी.एम. ने फिर से बैठक की तथा

प्रत्यर्थी की सेवा से बर्खास्तगी की एक नई सजा पारित कर पहले की सजा को रद्द कर दिया। जिसकी वायु सेना प्रमुख ने जी.सी.एम. के निष्कर्ष एवं सजा की पुष्टि की। जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 161 (2) के तहत दो याचिकाएं प्रस्तुत की गई। जिन्हें भारत सरकार द्वारा खारिज़ कर दिया गया।

इस बीच, प्रतिवादी ने जी.सी.एम. के फैसले को चुनौती दी। जिस पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 05.08.2002 के फैसले के द्वारा जी.सी.एम. की कार्यवाही के निर्णय को इस आधार पर रद्द कर दिया कि न्यायाधीश अधिवक्ता पद में कनिष्ठ थे और इसलिए, जी.सी.एम. की कार्यवाही दुषित हो गई थी। हालांकि, जी.सी.एम. को नए सिरे से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी गई थी। भारत संघ द्वारा दायर संशोधन आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। अतः वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी - भारत संघ ने अपील के समर्थन में तर्क दिया कि कुछ प्रावधानों के अधीन यद्यपि वह इससे पहले उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाये गए। वायु सेना नियम 1969 के तहत यह कथन किया कि जी.सी.एम. का सदस्य कनिष्ठ नहीं होना चाहिए किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह कनिष्ठ को सदस्य के रूप में लेने की अनुमति देता है। सेना अधिनियम एवं सेना नियम भारतीय वायु सेना नियम एवं वायुसेना अधिनियम से पूर्णतः भिन्न है। सेना नियम के नियम 103/104 जैसा कोई नियम वायुसेना नियम में नहीं है। निर्णय होने तक कोई आपत्ति न्यायाधीश अधिवक्ता की वरिष्ठता को लेकर नहीं उठाई

गई। इसके अलावा जी.सी.एम. ने अपने आदेश में यह स्पष्टतया उल्लेखित किया था कि कोई सीनियर अधिकारी उपलब्ध नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा यह मानने में गलती की है कि प्रासंगिक तारीख रिट याचिका दायर करने की तिथि थी, जबकि यह तिथि जी.सी.एम. के निर्णय की तारीख होनी चाहिए थी।

प्रत्यर्थी ने कथन किया कि सर्वाेच्च न्यायालय ने भारत संघ एवं अन्य बनाम चरणजीत सिंह गिल एवं अन्य जे.टी. (2000) 05 एस.सी.सी. 135 में कहा कि सम्पूर्ण प्रार्थना-पत्र में वायुसेना नियम एवं सेना नियमों के प्रावधान समान है जिनमे जी.सी.एम. के संगठन एवं संयोजक आदेश में किसी अनुपलब्धता के सम्बंध में नहीं कहा गया है।

न्यायालय द्वारा याचिका खारिज की गई।

निष्कर्षः 1.1. यह अखंडित निष्कर्ष था कि कोई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उपलब्ध नहीं था। वायुसेना नियम के नियम 46 जो कि सदस्य की योग्यता के सम्बंध में है न कि वरिष्ठता के बारे में। यह समान रैंक या उच्च रैंक को प्रावधित करता है। यहाँ तक कि सुसंगत तिथि याचिका दायर करने की तिथि थी। (पैरा संख्या 13)

1.2. उक्त अपीलों में यह भी तर्क नहीं उठाया गया कि निष्कर्ष के सम्बंध में कोई वरिष्ठ उपलब्ध नहीं था। इसलिए, उच्च न्यायालय जी.सी.एम. वैध रूप से गठित नहीं करने का निष्कर्ष देकर जी.सी.एम. के निष्कर्ष पर हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं था। भारत संघ द्वारा प्रस्तुत

अपील इस हद तक स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपिल बिना मेरिट के प्रस्तुत की गई थी। (पैरा संख्या 14)

1.3. उच्च न्यायालय के समक्ष सजा की उपर्युक्तता का प्रष्न उठाया गया था। जिसने इस बिन्दु पर परीक्षण न कर जी.सी.एम. के गठन को अविधिक होने का निष्कर्ष दिया। हालांकि ऐसा प्रकट होता है कि रिट याचिका में दुर्भावनापूर्ण कुछ दलीलें उठाई गई है। उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से उल्लेखित किया कि उस याचिका को सेवा में नहीं रखा गया था। इसलिए उच्च न्यायालय केवल सजा के बिन्दु पर विचार करेगा अन्य किसी मुद्दे पर नहीं। (पैरा संख्या 15)

सिविल अपीलीय अधिकारिताः सिविल अपील संख्या 127/2003

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिनांक 05.08.2002 निर्णय और आदेश जो कि सिविल रिट याचिका संख्या 4884/2001 में प्रदान किया गया।

के साथ

सी.ए. संख्या 128 और 606/2003

अपीलार्थी की ओर से, विकास सिंह, एएसजी, अशोक भान, साधना संधू, आर.सी. कथिया, रजनी सिंह, सुषमा सूरी और बी.वी. बलराम दास।

उत्तरदाता के लिए नरेन्द्र कौशिक और अशोक कुमार शर्मा।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

डॉ. अरिजीत पसायत जे.

1. ये तीन अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के आदेश सी.ए. नम्बर 128/2003 से सम्बंधित है जो अपील अपीलार्थी एस.पी.एस. राजकुमार द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया गया। अन्य दो अपीलें भारत संघ द्वारा मुख्य निर्णय के विरुद्ध सिविल अपील संख्या 127/2003 और सिविल अपील संख्या 606/2003 संषोधित आदेश के विरुद्ध दायर की गई।

2. संक्षेप में तथ्यों की पृष्ठभूमि इस प्रकार हैः-

उत्तरदाता-राजकुमार वायु सेना की रसद शाखा में एक कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल हुए। वह वर्ष 1998 में समूह कप्तान के पद तक पहुंचे। अपीलार्थी-भारत संघ के अनुसार, प्रत्यर्थी राजकुमार ने समुह कैप्टन के रूप में कार्यरत रहने के दौरान खरीद के मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितता की, दिनांक 12.01.2002 को उनके द्वारा कारित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बंधित 09 आरोपों को सूचीबद्ध करते हुए एक आरोप-पत्र जारी करते हुए जनरल कोर्ट मार्शल (जी.सी.एम.) की कार्यवाही के लिए आदेश करते हुए न्यायाधीश अधिवक्ता नियुक्त किया गया।

दिनांक 24.01.2000 को जी.सी.एम. की कार्यवाही आरोप-पत्र जिसमें नौ आरोप थे जो सभी अनुचित खरीद प्रक्रिया एवं वित्तीय अनियमितता से सम्बंधित थे। दिनांक 13.03.2000 को जी.सी.एम. द्वारा निष्कर्ष दिया कि प्रत्यर्क्षी चार आरोपों के लिए दोषी था जिस पर

उसकी दो साल की वरिष्ठता जब्त करने एवं कड़ी फटकार की सजा का आदेश किया। दिनांक 13.04.2000 को जी.सी.एम. के संयोजक अधिकारी अर्थात ए.ओ.सी. प्रभारी, रसद कमान मुख्यालय, नागपुर ने आदेश की समीक्षा करते हुए सजा के संशोधन के लिए जी.सी.एम. की बैठक फिर से करने का आदेश दिया।

3. दिनांक 24.04.2000 को इस न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम चरणजीत एस. गिल और अन्य, जे.टी. (2000) 5 एस.सी.सी. 135. में सेना अधिनियम, 1950 (संक्षेप में 'सेना अधिनियम') और सेना नियम, 1954 (संक्षेप में 'सेना नियम') के कुछ प्रावधानों का निर्वचन करते हुए निष्कर्ष दिया कि सेना अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अधिवक्ता न्यायाधीश को आरोपी अधिकारी के समकक्ष पद या उच्च पद का होना चाहिए जैसा कि जी.सी.एम. के सदस्यों के लिए दिए गए नियमों की तरह। यद्यपि, इस न्यायालय ने भविष्यलक्षी प्रभाव प्रदान करते हुए यह निर्णय दिया कि यह उन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगा जो अंतिमता प्राप्त कर चुकी हैं और न्यायालयों में लंबित मामलों पर भी लागू नहीं होगा जहां ऐसी आपत्ति नहीं उठाई गई है। दिनांक 13.05.2000 को दिनांक 14.03.2000 के आदेश के अनुसरण में जी.सी.एम. की बैठक आयोजित कर प्रत्यर्थी की बर्खास्तगी की एक नई सजा पारित की और पहले की सजा को रद्द कर दिया गया।

4. प्रतिवादी- राजकुमार ने दो पूर्व-पुष्टिकरण याचिकाएँ दिनांक 25 मई, 2000 और दिनांक 30 जून, 2000 को प्रस्तुत की गई।

5. दिनांक 07.09.2000 को वायुसेना प्रमुख ने न्यायाधीश अधिवक्ता के निष्कर्ष और सजा की पुष्टि की तथा उन्होंने न्यायाधीश अधिवक्ता की वरिष्ठता के पहलू पर भी विचार किया। वायु सेना प्रमुख ने न्यायाधीश अधिवक्ता की वरिष्ठता के बिन्दु पर दो कारणों का हवाला दिया, (क) न्यायाधीश अधिवक्ता की वरिष्ठता का सवाल जी.सी.एम. के समक्ष नहीं उठाया गया था और (ख) वास्तव में, पर्याप्त वरिष्ठता वाले न्यायाधीश अधिवक्ता उपलब्ध नहीं थे तथा आवश्यकता के सिद्धान्त के आधार पर सम्बंधित न्यायाधीश अधिवक्ता एकमात्र उपलब्ध अधिकारी थे।

6. प्रत्यर्थी राजकुमार द्वारा दिनांक 30.01.2000 को पूर्व पृष्ठ याचिका अन्तर्गत धारा 161 (2) वायुसेना अधिनियम, 1950 (संक्षेप में वायुसेना अधिनियम) प्रस्तुत की गई, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 24.09.2001 को खारिज़ कर दी गई। उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 05.08.2002 को जी.सी.एम. की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को इस आधार पर अपास्त कर दिया कि न्यायाधीश अधिवक्ता पद में कनिष्ठ होने से जी.सी.एम. कार्यवाही दूषित हो गई। यद्यपि जी.सी.एम. को यह स्वतंत्रता दी गई कि वह नये सिरे कार्यवाही करे। इस पर भारत संघ द्वारा प्रस्तुत उपान्तरण आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया।

7. अपील के समर्थन में भारत संघ के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि कुछ विशिष्ट प्रावधानों के अधीन आपत्ति उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गई। सेवा में रहने का एकमात्र

आधार न्यायाधीश अधिवक्ता का पद में कनिष्ठ होना था इसलिए कार्यवाही अवैध थी।

8. वायुसेना नियम 1969 (संक्षेप में 'वायुसेना नियम') के नियम 40 के संदर्भानुसार जी.सी.एम. का सदस्य कनिष्ठ नहीं होना चाहिए, किन्तु कनिष्ठ सदस्य कुछ विशेष परिस्थितियों में लिया जाना अनुज्ञेय है। न्यायाधीश अधिवक्ता जी.सी.एम. का सदस्य नहीं होता।

9. यह ऐसा प्रकरण नहीं था जहाँ प्रत्यर्थी राजकुमार द्वारा सर्वप्रथम अवसर पर न्यायाधीश अधिवक्ता की वरिष्ठता की कमी की आपत्ति उठाई हो। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सेना अधिनियम एवं उसके सैन्य नियमों में वर्णित प्रावधान वायु सेना अधिनियम एवं वायुसेना नियमों से पूर्णतः भिन्न है। यह ध्यान दिलाया गया कि सेना नियम के नियम 103/104 के समरूप कोई नियम वायुसेना नियम में विद्यमान नहीं है।

10. जी.सी.एम. की कार्यवाही समाप्त हो गई थी केवल दण्ड का भाग अन्तिमता दिये जाने को शेष रहा था। जी.सी.एम. की कार्यवाही के दौरान भी कोई आपत्ति नहीं उठायी गई। यहां तक कि लंबित कार्यवाही के दौरान भी संशोधन नहीं चाहा गया। निर्णय की तारीख तक न्यायाधीश अधिवक्ता की वरिष्ठता की कमी सम्बंधी आपत्ति नहीं ली गई। जी.सी.एम. का आदेश स्पष्टतः दर्षित करता है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध नहीं था।

11. यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा सुसंगत तिथि को रिट याचिका प्रस्तुत होने की तारीख अवधारित कर अवैधता की है। यह जी.सी.एम. के निर्णय की तारीख होना चाहिए।

12. जवाब में, प्रत्यर्थी राजकुमार के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि गिल का निर्णय (सुप्रा) का वायुसेना नियम एवं सेना नियम पर पूर्णतः लागू होता है। जी.सी.एम. की संरचना से सम्बंधित प्रावधान समान है। संयोजन आदेश किसी की अनुपलब्धता की बात नहीं करता।

13. यह ध्यान दिया जाना चाहिए था कि वहां कोई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उपलब्ध नहीं था इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी गई थी। नियम 46 जो सदस्य की पात्रता से सम्बंधित है। यह वरिष्ठता की बात नहीं करता। यह समान पद एवं उच्च पद की बात करता है। वरिष्ठता की कमी के बिन्दू पर कोई आपत्ति किसी स्टेज पर नहीं थी। वास्तव में, उच्च न्यायालय यह मानने में भी गलती कर गया कि सुसंगत तिथि रिट याचिका दायर करने की तारीख है।

14. इन अपीलों में यह निष्कर्ष पर कि कोई वरिष्ठ उपलब्ध नहीं था को दलील नहीं ली गई थी। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा जी.सी.एम. के निष्कर्षो में हस्तेक्षप किया जाना उचित नहीं था। उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है। भारत संघ द्वारा प्रस्तुत अपीलें इस हद तक स्वीकार की जाती है। राजकुमार की अपील बिना योग्यता की है।

15. यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए था कि दण्ड की उपर्युक्तता का प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था। केवल इसी की जांच करनी थी, किन्तु उच्च न्यायालय को जी.सी.एम. की संरचना के अविधिक होने की जांच नहीं नहीं करनी थी। ऐसा समाधान होता है कि रिट याचिका में दुर्भावनापूर्ण तरीके से कुछ दलील उठाई गई। उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से ध्यान दिया कि यह दलील सेवा के दौरान नहीं उठाई इसलिए उच्च न्यायालय केवल सजा के प्रश्न पर रिट याचिका पर विचार करेगा किसी अन्य मुद्दे पर नहीं।

16. इस प्रकार अपीलों का निस्तारण किया जाता है। कोस्ट लगाने का कोई आदेश नहीं किया जा रहा।

अपील निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी वन्दना राठौड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।